प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/207157/KSB/KAUSHAMBI/747/CFO
दिनांक : 06-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **St. J. D. CONVENT SCHOOL MURATGANJ** पता **MURATGANJ KAUSHAMBI 212201,MURATGANJ,KAUSHAMBI** तहसील - **CHAYAL** प्लाट एरिया **6485.92 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1963.40** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **3** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	0	7.6 mt.
BLOCK B	3	0	11.1 mt.
BLOCK C	2	0	7.6 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **St. J. D. CONVENT SCHOOL MURATGANJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **08-07-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KALPANA SAHU** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-07-2026** से **07-07-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **St. J. D. CONVENT SCHOOL MURATGANJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **St. J. D. CONVENT SCHOOL MURATGANJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने तथा उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-07-2026
स्थान : KAUSHAMBI

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
MANGESH KUMAR
147A6A666F1F1643727AC71353EA1EAE8F65C39F
08-07-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Principal
St. J. D. Convent School
Muratganj, Kaushambi

Manager
St. J. D. Convent School
Muratganj, Kaushambi